

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 711 / मीरजापुर / दिनांक, मीरजापुर, अगस्त, 17 2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:- बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम- ददरी खुर्द, में स्थपित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2157/ 11- सी- FP/UP/ Thermal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 29.07.2019।

महोदय,

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम- ददरी खुर्द, में स्थपित किये जाने वाले 1320 मेगावाट थर्मलपावर प्लान्ट के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित आख्या निम्न प्रकार है।

Obser no	Obserbation	Reply
1	वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई जबकी गाव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 विश्वा) है।	उक्त परियोजना का आनलाइन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विचाराधीन है उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 के पत्रांक-2691/14-2-2018-800 (64)/2016 लखनऊ दिनांक 27.08.2018 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक- 8बी/08/38/2018/एफ0सी0/478 दिनांक 11.01.2017 के बिन्दु संख्या 3 पर यह उल्लेख किया गया है कि 3- In pursuance of order of Hon'ble NGT in appeal no 79 of 2014. Department of Forests, UP may review its stand on the proposal. इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 286/मी0/15 दिनांक 16.07. 2019 द्वारा आख्या आपको प्रेषित की गयी।
2	वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 9 विश्वा) भूमि विज्ञापित हुई शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुई।	परियोजना हेतु बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित 1320(2x660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में लगभग 875 एकड़ भूमि क्रय की गयी है।
3	बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम- ददरी खुर्द, में 834.68 एकड़ (337.792 हे0) भूमि क्रय की गई जो तत्का0 प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 18.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।	अवगत कराना है कि ग्राम- ददरी खुर्द, तहसील- सदर, जिला- मीरजापुर में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 (6) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या- 617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 248 पर 843 एकड़ भूमि विज्ञापित की गयी है उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित है "Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs" (संलग्नक-1)।
4	ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या-617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।	धारा-4 उप धारा 1(सी) विज्ञप्ति संख्या- 5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के
5	उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बेलेस्पन एनर्जी यू0 पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानकी प्रयोग एवं	

बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमती के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसके क्रम में शासन के पत्रांक-2691 दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से कतिपय सूचनाये मागी गयी थी, जिसका उत्तर अध्यतन अप्राप्त है। अतः उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना भी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अन्तर्गत उ0प्र0 गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी है। (संलग्नक-2)

पुनः आंशिक परिस्कार करते हुए विज्ञप्ति संख्या- 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं प्रकाशित की गयी (संलग्नक-3)

विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिस्वा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 रक्षित वन विज्ञापित किया गया (संलग्नक-4) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 4598/मी0/15 दिनांक 25.05.2018 एवं पत्रांक 5045/मी0/15 दिनांक 28.06.2018 द्वारा उच्च स्तर को तथा पत्रांक 5041/मी0/15 दिनांक 28.06.2018 पत्रांक 4599/मी0/15 दिनांक 25.05.2019 तथा द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर को अवगत कराया जा चुका है।

उपरोक्त के आलोक में प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में उपयोग किये जाने वाली भूमि का सक्षम स्तर से विधिक परीक्षण इस समाधान हेतु आवश्यक है कि परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि धारा 117 की विज्ञप्ति से आच्छादित है अथवा नहीं। उक्त परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या- वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर का निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा :-

"प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या- वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी0/2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।"

परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले प्रस्तावक संस्था द्वारा 8.3581 हे0 गैर वन भूमि ग्राम-कुशियरा तहसील लालगंज जिला मीरजापुर के आराजी संख्या-44 च पुरानी आराजी संख्या-231/1 रकबा 8.3581 हे0 प्रस्तावित की गयी है जिसमे शासनादेशसंख्या-वी0आई0पी0-23/14-2-2019- 190 जी0 /2018 दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-678/मी0/15 दिनांक 09.08.2019 द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर से अनुरोध किया गया।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

FOREST DEPARTMENT

GAZETTE 617

MISCELLANEOUS

October 11, 1952

No. 617/XIV—In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952—

(1) all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the uncultivated land (to be demarcated) shall not vest
1	2	3	4	5
Dohra Dun	Dohra Dun	Western Doon	1. Kayarkull Dhatla	2,087
			2. Birzan	110
			3. Chalang	151
			4. Khurawan	183
			5. Garhi Malohak	106
			6. Gumaniwala	106
			7. Raiwala	303
			8. Baderna	201
			9. Gadul	4,208
			10. Nall	140
			11. Simyari	212
			12. Silla	240
Nakur	Nakur	Gangoh	13. Ram Raikhorl	165
			14. Rajpur Latifpur	170
			15. Sataara	515
			16. Boor Khori Musalman	236
			17. Khairul	108
			18. Haidarpur	307
			19. Shitalpur	205
			20. Bherpur	455
			21. Ranipur Barai (Alluvial)	200
			22. Tajpura	122
			23. Darya Baranad	111
			24. Jandheri	134
Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	Gordhanpur	25. Khanpur	380 (in Aiki).
			26. Idripur	232 (in Chakheri).
			27. Mara Baila	1,671 (in Banuwala).
			28. Farakhpur	287 (in Panohli).
			29. Farakhpur	229 (in Hastmanli).
			30. Abdipur	194
			31. Khairi	284 (in Marakhpur).
			32. Kherki	252 (in Bokunthpur).
			33. Husainpur	170
			34. Bhadauli	140 (in Behlolpur).
			35. Kalsiya	244
			36. Jogawala	418 (in Udiawali).
Kairana	Jhunjhuna	Bidauli	37. Barhiwala	140
			38. Barhiwala	320 (in Bhainsiwala).
			39. Almawala	124
			40. Mohamdpur	131 (in Zhiwarheri).
			41. Dharmapur	490
			42. Yahyapur	231
			43. Shahpur	283 (in Madarpur).
			44. Mohamdpur	186 (in Dhamat).
			45. Farakhpur	331
			46. Shaipur	306 (in Rizkallapur).
			47. Balawali	497 (in Shahpur Khadar).
			48. Badshahpur	700 (in Himmatpur Bala).
Kairana	Jhunjhuna	Bidauli	49. Badshahpur	245 (in Ramsahiwala).
			50. Regana	173
			51. Bibipur Jalavpur	200
			52. Phawati Khurd	473
			53. Kherikhushnam	356
			54. Garhi Husanpur	103
			55. Khadsabha	840
			56. Sakauti	675
			57. Mansura	504
			58. Balhara	680
			59. Bhilal Garhi	403
			60. Yusufpur (Jhantua)	1,151

TOTAL TRAINING CAMP, OCTOBER 1925

26° 26'

1225

Muzaffarpur

Kaimur

215. Patluki
216. S-mra Pratap S
217. Palsi J
218. Rali
219. Mowli
220. Pancharia Khurd
221. Sonrai
222. Anai
223. Ghosia
224. Marikah
225. Deori Kalan
226. Khachhar
227. Khabari Pabhar
228. Karanda
229. Pathor
230. Ralora
231. Piprai
232. Hardi Kalan
233. Bunki
234. Hardi Mian
235. Kulkari
236. Amoi
237. Patwar
238. Narmaji
239. Deori Duwar
240. Khandwar Midhan
241. Deori Uttar
242. Himanti Raja
243. Bedanti
244. Dacti Khurd
245. Chandiwa Khurd
246. Gahna
247. Himanti
248. Dacti Khurd
249. Umariya Sardar
250. Pongra
251. Ganda
252. Pallipar
253. Nagar Sagar
254. Narauri Bagarda
255. Gopalpur

Area in Acres

- 146
- 185
- 371
- 303
- 189
- 116
- 988
- 824
- 1,458 - R/Gay
- 309
- 219
- 410
- 708
- 313
- 317
- 721 - R/Gay
- 362
- 1,381 - R/Gay
- 151
- 148
- 186
- 281
- 220
- 196
- 225
- 144
- 1,196
- 334
- 374
- 309
- 270
- 209
- 1,224
- 843
- 631
- 431
- 684
- 159
- 122
- 133
- 3,121

237 1/2
238 1/2
239 1/2
240 1/2
241 1/2
242 1/2
243 1/2
244 1/2
245 1/2
246 1/2
247 1/2
248 1/2
249 1/2
250 1/2
251 1/2
252 1/2
253 1/2
254 1/2
255 1/2

Chaur

Almora

256. Baghara
257. Baghara
258. Baghara
259. Baghara
260. Baghara
261. Baghara
262. Baghara
263. Baghara

- 635
- 684
- 910
- 60
- 3,382
- 2,134
- 13
- 2,14

Saletgarh

264. Lohara, Gaganara
265. Rajapur Dhokwah
266. Nawalpur Lalpur
267. Dacti, Bishampur, Motihari
268. Dadanti
269. Bahara
270. Chandiwa
271. Sarso
272. Somri
273. Nihari
274. Bijapur
275. Titon
276. Kooza Khurd, Kooza Kolan
277. Saletgarh, Khamwa Jayati
278. Natpur
279. Bhondi
280. Bhorthara
281. Dampar
282. Kabanri Mafi
283. Bhurhar
284. Bhurhar
285. Kauri

- 2,170
- 3,547
- 60
- 2,090
- 448
- 210
- 1,350
- 1,450
- 2,170
- 500
- 148
- 1,288
- 7,230
- 350
- 700
- 400
- 150
- 1,158
- 402
- 66
- 150

Bar K

Robertgarh

Barhar

286. Kharilota
287. Dorabari
288. Banhi
289. Anli Pokhar
290. Dhali
291. Babhani
292. Kandan
293. Majurahi
294. Bani

- 110
- 305
- 128
- 311
- 320
- 304
- 2,470
- 184
- 220

Bijaygarh

295. Karkuli
296. Bishin Gosa
297. Pipri

- 236
- 148
- 100

FOREST DEPARTMENT

MISCELLANEOUS

December 27, 1955

240119 - 2
Dadri khurd on page
no. 6 S.No. 57

No. 5564/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 1(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-division concerned are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Banaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

Taluk	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
District Mirzapur						
Mirzapur	Kantil	Rampur Machwa	24	South—Uttar Deori Forest. West—Fields of Uttar Deori. North—Cultivated area of Rampur Machwa village. East—Rampur Thakurdayal village boundary.	119	
Do.	Do.	Saini Magardha	25	South—Sahra village boundary. West—Dikka. North—Ranibari Forest. East—Cultivated area of Saini Magardha.	153	
Do.	Do.	Gahera	26	South—Village boundaries of Gahera and Magardha Kalan and Khurd. West—Daulhuwa village boundary. North—Argajapandeypur village boundary. East—Cultivated area of Karanpura.	248	
Do.	Do.	Kothi	27	South—Kothi village boundary. West—Majhyar Forest. North—Belahi village boundary. East—Belahi and Kothi villages.	303	
Do.	Do.	Deori Dubar Khlas	28	South—Agricultural fields of Deori Dubar Khlas. West—Parwan and Amoj village boundary. North—Deori Uttar Forest. East—Pathaur Forest.	280	
Do.	Do.	Barkachha Kalan	29	South—Gurtotwa village boundary. West—Barkachha Khurd Forest and Belahra Forest. North—Agricultural fields of Barkachha Kalan. East—Khanjuri Nadi.	3,605	
Do.	Do.	Belahi	30	South—Common boundaries of Belahi, Kothi and Kothi villages. West—Village boundaries of Kothi and Gangahara village. North—Village boundary of Kalwari Khurd. East—Chitang village boundary.	1,392	

The area of block nos. 24 and 25 is 203.

The area of block nos. 27 and 28 is 203.

Ditto.

185

By order,

AMURUL HASAN, Secretary

	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
	5	6	7	8	2	3
			18,371			
55	Mirzapur	Kantil	Bela	South—Siktahi River and Forest. West—Common boundary of Kotwa and Bela villages. North—Danti Forest. East—Danti and Sourai Forest.	1,183	4 Mirzapur .. Kantil
56	Do.	Do.	Danti	South—Bela and Sourai Forest.. West—Kotwa village boundary and Khajuri River. North—Gaura Bessin Forest and Jhingwa Barkachha Road. East—Ukhdaul and Dadri Gairah Forest.	783	
57	Do.	Do.	Dadri Khurd	South—Danti Forest. West—Agricultural fields of Dadri Khurd and Dadri Gehra. North—Sukhsai Forest. East—Dachiram Forest.	800	Do.
58	Do.	Do.	Marlihan	South—Cultivated area of Marlihan village and Patwar Forest. West—Doori Kalan fields. North—Dachiram Forest. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	309	
59	Do.	Do.	Raksha Kalan	South—Dachi Ram Forest. West—Dachi Ram village boundary. North—Agricultural fields of Raksha Kalan village. East—Dachi Ram forest and Pachokhra fields.	239	Do. .. Do.
60	Do.	Do.	Sukhsai	South—Dadri Khurd and Dachiram Forest. West—Ukhdaul Forest. North—Agricultural fields of Sukhsai and Umeria villages. East—Dachi Ram village boundary.	314	Do. .. Do.
61	Do.	Do.	Dachi Ram	South—Common boundary of Marlihan and Dachiram villages and then Dachi Ram and Desri Kalan. West—Common boundary of Dadri Khurd and Dachiram villages and then Dachiram and Sukhsai village. North—Agricultural fields of Dachiram village, Raksha Kalan forest and then Pachokhra fields. East—Forest boundary of Umeria Sardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	3,056	Do. .. Do.
62	Do.	Do.	Umeria Sardar	North—Dachi Ram forest. West—Ditto. South—Ditto. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar tahsils.	744	
63	Do.	Do.	Karanpura	South—Common boundary of Karanpura and Rajapur village and then Karanpur Kalwari villages. West—Boundary of Barni and Migardah forests. East—Boundary of Pagor and Pandepur forests. North—Agricultural fields of Karanpura and Harrai forest.	1,268	

(२५ जनवरी १९६७)

22

सं० २३१ (२) ३६ (३) १९६७-६८-६९ राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर शीत वन बनाया जाय।

अतएव अब उत्तर प्रदेश में अपनी भूमि के संबंध में गया संशोधित इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (ए) के अधीन अधिकारी का प्रयोग करने और विनियम संख्या ११६४/१४ दिनांक २७ दिसम्बर, १९५४ का आदेश परिष्कार करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि को शीत वन बनाना निर्दिष्ट किया गया है।

२-राज्यपाल, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा की उपधारा (१) के खंड (सी) के अधीन श्री उमासरन मिश्र, डिप्टी कलेक्टर मिर्जापुर को उक्त ऐक्ट के धर्माधिकारी के लिए वन बन्वोवस्त अधिकारी नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

बाड़ीराम ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	तप्पा	ब्लाक के ग्रामों का क्रमांक	ग्राम का नाम	बसरा प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७	८
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कतित	८४	१	सुबनई	३७४	७ १५ ०
						३८२	१ ५ ०
						३८३	२ ५ ०
						३८४	३ १५ ०
						३८५	३ १५ ०
						३८६	३ १५ ०
						३८७	३ १५ ०
						३८८	३ १५ ०
						३८९	३ १५ ०
						३९०	३ १५ ०
						३९१	३ १५ ०
						३९२	३ १५ ०
						३९३	३ १५ ०
						३९४	३ १५ ०
						३९५	३ १५ ०
						३९६	३ १५ ०
						३९७	३ १५ ०
						३९८	३ १५ ०
						३९९	३ १५ ०
						४००	३ १५ ०
						४०१	३ १५ ०
						४०२	३ १५ ०
						४०३	३ १५ ०
						४०४	३ १५ ०
						४०५	३ १५ ०
						४०६	३ १५ ०
						४०७	३ १५ ०
						४०८	३ १५ ०
						४०९	३ १५ ०
						४१०	३ १५ ०
						४११	३ १५ ०
						४१२	३ १५ ०
						४१३	३ १५ ०
						४१४	३ १५ ०
						४१५	३ १५ ०
						४१६	३ १५ ०
						४१७	३ १५ ०
						४१८	३ १५ ०
						४१९	३ १५ ०
						४२०	३ १५ ०

194

बस ब्लाक बाड़ीराम

जम्पुर मिर्जापुर कर्मित नं० ५ उमरिया सरवार

वी० प्रि० वि०

७५	१०	१०	०
७६	३	१०	०
७७	१४	०	०
७८	७८	१३	०
७९	७१	११	०
८०	७३	०	०
८१	१	१७	०
८२	१५०	१०	०
८३	४४	१	०
८४	३६	७	०

६ मङ्गल

१	१	१३	०
२	०	०	०
३	११२	१३	०
४	२७	१३	०
२०-मि०	३	०	०
४४	१४५	१३	०
४५	११	११	०
४६-मि०	१	०	०

७ पटेवर

१	१	१५	०
२	४०	११	०
१७	१	१०	०
१८	१	१७	०
१९	४	१४	०
२०	११	१६	०
२१	३	३	०
२२	४७	०	०
२३	३७	६	०
२४	०	२०	०
२५/१	४	११	०
२६	४	१३	०
२७	३३	१५	०
२८	२	०	०
२९	१	०	०
३०	५	०	०
३१	०	०	०
३२	०	३	०
४३-मि०	२३	१२	०
४४	०	२	०
४५	०	११	०
४६	१०	१३	०
४७	०	१	०
४८-मि०	१७	०	०
४९-मि०	५	०	०

८ चरखी खर्च

१	१५२	१	०
२४	१३१	१०	०
६८	३	२	०
७३/१	१४	१५	०
७४-मि०	०	०	०
१८५	१०५	१२	०
१८५	१२	१२	०

योग

१५,०२६ १५ ०

शरावा

६,३३१-००

204

123-14-0

20 जुलाई, 1977 ई०

अनुभाग-2

अधिसूचना

संलग्नक - (3)

सं० 4646/14-2-20(41)-77-अधिसूचना संख्या 23 (2)-36(ब)-14-ख-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निविष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निविष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लॉक दाढ़ी रामे-रियात और क्षेत्रफल

1	2	1	2	1	2	1	2
ग्राम-मुखनई	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०	वी०बि०बि०
	416	0 9 0	457	0 16 0	2509	1 12 0	
	417	1 3 0	458	0 14 0	2510	892 14 0	
875	7 19 0	418	0 16 0	459	1 0 0	2511	72 6 0
382 ✓	1 9 0	419	0 4 0	460	1 14 0	2512	1 6 0
383	2 3 0	420	0 14 0	461	1 8 0	2513	20 7 0
384	3 18 0	421	0 14 0	462	1 17 0	2514	1 11 0
385	3 14 0	422	0 6 0	463	1 1 0	2515	4 19 0
386	1 1 0	423	0 2 0	464	2 3 0	2516	3 14 0
387	1 3 0	424	0 8 0	465	1 11 0	2517	23 19 0
388	0 4 0	425	0 14 0	466	7 3 0	2518	0 16 0
389	0 4 0	426	0 3 0	467	6 9 0	2519	6 4 0
390	1 7 0	427	0 11 0	468	4 2 0	2520	4 0 0
391	0 7 0	428	0 1 0	469	3 3 0	2521	340 1 0
392	0 14 0	429	1 7 0	470	8 10 0	2522	176 12 0
393	0 17 0	430	1 4 0	471	3 5 0	2523	0 18 0
394	1 11 0	431	1 4 0	472	1 1 0	2524	39 10 0
395	0 13 0	432	1 4 0	473	0 8 0	2525	3 8 0
396	0 16 0	433	1 8 0	474	0 8 0	2526	43 13 0
397	0 13 0	434	1 1 0	475	0 14 0	2527	0 16 0
398	0 4 0	435	0 4 0	476	2 4 0	2528	169 4 0
399	0 10 0	436	0 15 0	477	0 7 0	2529	0 14 0
400	1 0 0	437	0 11 0	478	0 9 0	2542	134 16 0
401	0 17 0	438	1 1 0	479	0 10 0	2543	66 8 0
402	1 4 0	439	0 8 0	480	1 3 0	2544	115 19 0
403	0 7 0	440	0 11 0	481	3 10 0	2545	1 8 0
404	1 10 0	441	0 19 0	482	0 9 0	2546	74 4 0
405	0 4 0	442	1 4 0	483	10 5 0	2547	68 14 0
406	1 1 0	443	1 7 0	484	0 6 0	2548	161 0 0
407	0 4 0	444	1 0 0	485	1 7 0	2549	0 8 0
408	0 7 0	445	1 7 0	486	0 10 0	2550	70 17 0
409	0 16 0	446	1 0 0	487-मि०	250 10 0	2551	3 11 0
410	1 16 0	447	1 0 0	488	0 9 0	2552	2 2 0
411	0 4 0	448	1 0 0	योग	394 4 10	2553	1 11 0
412	1 10 0	449	0 8 0	2391-मी०	51 0 0	2554	3 6 0
413	0 12 0	450	0 12 0	2506-मी०	90 0 0	2555	0 6 0
414	0 12 0	451	0 10 0	932	236 16 0	2556	18 4 0
415	0 10 0	452	0 19 0	2678-मी०	153 0 0	2557	0 4 0
		453	1 0 0	2507	2 3 0	2558	2 11 0
		454	0 13 0	2508	153 2 0	2559	0 4 0
		455	2 5 0			2560	0 12 0

2	1	2	1	2	1	2
बी० बि० बि०	गांव-पेदेवर	बी० बि० बि०	बी० बि० बि०	गांव-पेदेवर	बी० बि० बि०	बी० बि० बि०
82 150 10 0		33-मी० 1 18 0	1 19 15	11-मी० 150 1 0		
83 44 1 0	1	34 40 9 0	1 0 0	24-मी० 131 9 0		
84 36 1 0	2-मी०	35-मी० 1 8 0	4 17 0	73/1 14 15 0		
योग .. 1,103 11 0	17-मी०	36 2 8 0	2 8 0	74-मी० 4 0 0		
वि-मंडिहान	18-मी०	42 0 3 0	0 3 0	184 105 12 0		
1 19 0	19-मी०	43-मी० 29 12 0	29 12 0	185 13 12 0		
0 8 0	23-मी०	46 0 11 0	0 11 0	योग .. 419 9 0		
112 12 0	24 3 6 0	47-मी० 30 9 0	30 9 0	कुल प्रग 14895 17 5		
4-मी० 27 8 0	25-मी० 47 7 0	48 8 1 0	8 1 0	या		
20-मी० 3 0 0	26 37 4 0	49-मी० 17 0 0	17 0 0	5809.52		
44-मी० 145 1 0	27 0 10 0	50-मी० 5 0 0	5 0 0	एकड़ या		
45 1 11 0	28/1 4 11 0	योग .. 298 3 15		3767.594		
46-मी० 1 0 0	29 4 13 0			हेक्टेयर		
योग .. 292 19 0	30 36 15 0					

सीमा का वर्णन

मुनारे संख्या	मुनारे की स्थिति	अगले मुनारे की लगभग दिशा	लगभग विवरण		अगले मुनारे की लगभग पूरी (जरीबों में)	अगले मुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
1	2	3	अग्रिम	पार्श्व	6	7	8
			फारेस्ट ब्लॉक नं० 1				
1	कृषि क्षेत्र सं० 546-598 एवं 551 के जोड़ पर	—	—	—	14.30	डेढ़ी लाइन	ग्राम दावी राम व बहुती के दो-
2	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के दक्षिणी उ०प०उ० में ड पर	—	319.00	139.30	5.38	सीधी लाइन	हदे से अ० चु० कोण 93.00
3	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उ०प०उ० उभयनिष्ठ सीमा पर	—	12.00	192.00	10.25	"	प० चु० कोण 273.00 दूरी 17 जरीब 25
4	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के पश्चिमी मंड पर	प०उ०प०	313.00	133.00	6.50	"	कड़ी पर पी० नं० 1 प्रारम्भ
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	
6	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू०उ०पू०	46.00	226.00	8.60	"	
7	कृषि क्षेत्र सं० 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
7-क	"	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं० 546 व 532 व 551 के जोड़ पर	पू०उ०पू०	118.00	298.00	8.60	"	
9	कृषि क्षेत्र सं० 532 एवं 551 के सीमा पर	प०उ०प०	18.00	198.00	19.60	"	
9-क	वन क्षेत्र सं० 532 में	उ०पू०उ०	18.00	198.00	3.60	"	
10	कृषि क्षेत्र सं० 510 के दक्षिणी मंड पर	व०प०व०	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के पश्चिमी मंड पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं० 533 के व०पू० कोण पर	प०उ०प०	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के व० मंड पर	व०प०व०	204.00	24.00	6.40	"	